किशोर न्याय प्रणाली का प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक पक्ष

*सुमिता मुदगल

"राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है इसलिए किशोरों के प्रति दया एवं सहानुभूति दर्शायी जानी चाहिए। साथ ही, उनकी उचित देखभाल एवं संरक्षण किया जाना चाहिए।" कृष्ण अय्यर स्वामी, पूर्व न्यायाधीश

I. सामान्य परिचय:

बच्चे देश के भविष्य के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। भारत में किशोर न्याय प्रणाली बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ विश्व नागरिक द्वारा अपनाई गई सबसे प्रगतिशील और प्रबुद्ध प्रणाली है। किशोर न्याय प्रणाली न्याय के आपराधिक कानून प्रशासन के क्षेत्र में आने वाले एक प्रणाली है इसका तात्पर्य बच्चों और समाज से संबंधित समस्या से निपटने की प्रक्रिया है। भारत में किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता है।

किशोर न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य युवा अपराधियों का पुनर्वास और उन्हें दूसरा अवसर प्रदान करना है ताकि वह समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास में सहयोग कर सकें। किशोर से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हैं। भारत में 'डोली इनकैपेक्स के सिद्धांत' को लागू किया जाता है, इसका तात्पर्य है- अपराध करने में असमर्थ व्यक्ति। इसलिए भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के

*शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, (राजस्थान)

बालक को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना है। समाज का यह मानसिक रूप से अपरिपक्व, संवेदनशील तथा असुरक्षित वर्ग अर्थात किशोर वर्ग (जिसमें देखभाल व संरक्षण की जरूरत जरूरतमंद किशोर तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर शामिल है) सुस्थापित व सभ्य समाज की सहानुभूति एवं सहायता का उचित पात्र है। इस वर्ग के भावी जीवन की सकारात्मक व नकारात्मक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका उचित उपचार तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाना अति आवश्यक है ताकि वे भी अपनी नैसर्गिक क्षमता एवं उपलब्ध कल्याणकारी अवसरों का लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें|

बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता उसकी परिवेश से प्रभावित होती है। बालकों तथा किशोरों की अबोधता, मानसिक तथा बौधिक अपरिपक्वता और व्यावहारिक अनुभवहीनता के कारण से ही किशोर अपराधियों के लिए पृथक दंड प्रक्रिया के अंतर्गत उनका सुधारात्मक व पुनर्वास किया जाता है और इसीलिए उनके लिए पृथक कानून बनाया गया है। स्वतंत्र भारत में बालको, किशोरों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए पृथक कानून बनाए जाने की शुरुआत बाल अधिनियम, 1960 से हुई। बाल अधिनियम में एकरूपता प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू किया गया। 1986 से वर्तमान समय तक इस अधिनियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा के बिकास, राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग तथा इसके प्रशासन एवं क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण इसमें अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम, 2000 में संशोधन किशोर न्याय बालकों की (देखरेख व संरक्षण)अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय बालकों की (देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के रूप में जाना जाता है।

II. **प्रशासनिक पहलू:**

राज्य द्वारा घोषित नीतियों को व्यापार में क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन करता है इस संबंध में किशोर न्याय प्रणाली उन आधारभूत सिद्धांतों का अनुपालन करती है जो राज्य के कल्याणकारी आदर्शोंऔर नीतियों को प्रस्तुत करती है। उक्त अधिनियम में बालकों की देखभाल, सुरक्षा व पुनर्वास हेतु विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है जो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। किशोर न्याय के यह आधारभूत सिद्धांत किशोर न्याय नियमावली, 2006 के अध्याय 2 में वर्णन किया गया है जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण भाग II खंड 3 उपखंड 1 से 472) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2007 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि :-

- इन नियमों व सिद्धांतों के उपबंधो का क्रियान्वयन करते समय यथास्थिति राज्य सरकारें, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण इन सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
- यह सिद्धांत इस अधिनियम के निर्वचन और क्रियान्वयन के लिए आधारभूत सिद्धांत होंगे।

ये सिद्धांत इस प्रकार हैं :-

1. **निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत:** किसी बालक किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को 18 वर्ष की आयु तक प्रथम तथा आपराधिक आशा का दोषी नहीं माना जाएगा इस संबंध में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

2. **गरिमा व स्वाभिमान का सिद्धांत:** मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद-1 के अनुसार सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं। अतः उनकी गरिमा व अधिकारों का सम्मान किया जाए। यही नियम किशोर न्याय प्रशासन में भी किशोर की किसी मामले में उसके प्रथम संपर्क में आने से लेकर उससे संबंधित समस्त उपायों के कार्यान्वयन तक पूर्ण सम्मान दिया जाएगा।
3. **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत:** बालक अथवा किशोर या विधि के उल्लंघन करने वाले किशोर के सर्वोत्तम हित का ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में उसके पुनर्वास, पुनरुद्धार को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में अभी हाल ही में जनवरी 2023 को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि किशोरों के मामले में विचार करते समय उनके सर्वोत्तम हित व सर्वोपरि कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
4. **सुने जाने का अधिकार:** किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालकों को अपनी स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करना, विचार विमर्श एवं वाद विवाद के समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
5. **पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत:** बालकों के पालन पोषण, देखरेख, सहायता प्रदान करना व उसके संरक्षण का प्राथमिक उत्तरदायित्व मुख्यत उसके जैविक परिवार या दत्तक या धाय माता-पिता का होगा।
6. **सुरक्षा का सिद्धांत:** किशोर या बालक की देखरेख व उसके संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सभी सुरक्षात्मक उपायों का सहारा लिया जाएगा ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई हानि, दुर्व्यवहार या उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए।

7. **सकारात्मक उपाय:** किशोर या बालक की कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सकारात्मक योजनाएं निर्मित कर उन के माध्यम से स्वयंसेवकों व अन्य सामुदायिक समूहों के साथ सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य बालकों तथा किशोरों में असुरक्षा की भावना तथा विधि के हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को कम कर किशोरों अथवा बालकों के साथ न्यायोचित व मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना है।
8. **गैर-कलंककारी अर्थ विज्ञान का सिद्धांत:** किसी बालक या किशोर से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिकूल अथवा अभियोग लगाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
9. **अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत:** किसी बालक या किशोर द्वारा मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना उसका अधित्यजन नहीं माना जाएगा साथ ही ऐसे बालक या किशोर द्वारा उसे या उसके अभिभावक या संरक्षक द्वारा इसका अधित्यजन अनुज्ञेय नहीं है।
10. **समानता और भेदभाव ना किए जाने का सिद्धांत:** किसी भी बालक या किशोर के विरुद्ध लिंग, जाति, जन्मस्थान, निर्योग्यता आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही, उसे कहीं भी प्रवेश, अवसर व उपचार की समानता प्रदान की जाएगी।
11. **निजता व गोपनीयता का अधिकार:** उक्त अधिनियम के अधीन की सभी कार्यवाहियों में सभी चरणों में बालक व किशोर की निजता और गोपनीयता के अधिकार को सभी प्रकार से सभी साधनों से संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।
12. **संस्थाकरण एक अंतिम विकल्प का सिद्धांत:** किसी बालक या किशोर को युक्तियुक्त जांच के पश्चात अंतिम विकल्प के रूप में न्यूनतम अवधि के लिए किसी उपयुक्त संस्था में भेजा जाएगा।

13. **प्रत्यावर्तन एवं पुनरुद्धार का सिद्धांत:** बालक या किशोर का अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन हो तथा उसे वैसा ही सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर उन्हें पुनः प्राप्त हो जो इन विधिक कार्यवाही से पहले था ऐसा प्रत्यावर्तन में उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाएगा।
14. **नव प्रारंभ का सिद्धांत:** यह सिद्धांत बालक य किशोर का पिछला रिकॉर्ड समाप्त कर एक नए सिरे से नई शुरुआत करने पर बल देता है।

III. प्रक्रियात्मक पहलू:

A. विधि से संघर्षरत किशोरों के संबंध में:

a) किशोर न्याय बोर्ड और संचालित प्रक्रिया (धारा 4 से 9):

इस अधिनियम के अधीन कानून से संघर्षरत बालकों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं जिसमें से एक न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास तथा अन्य दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिसमें से कम से कम 1 महिला सदस्य का होना आवश्यक है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को कम से कम 7 साल से बच्चों से संबंधित सस्वास्थ्य शिक्षा या कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से अनुभव प्राप्त हो या बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाजशास्त्र या विधि में उपाधि के साथ व्यवसायरत व्यवसयी रहा हो।

अयोग्यता का पात्र सदस्य: परिषद का सदस्य चयन का पात्र नहीं होगा यदि वह:

- मानव अधिकारों या बालकों के अधिकार के उल्लंघन का कोई पूर्व अभिलेख रखता है।

- नैतिक अधमता या अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति है।
- समुचित सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है। या
- बालक संबंधित अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहा है।

b) **जांच प्रक्रिया:** किशोर न्याय बोर्ड ऐसे विधि विवादित किशोर के संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुसार सम्यक जांच करेगा तथा प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर ऐसी जांच प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। ऐसी अवधि को लेखबद्ध कारण सहित 2 महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। जघन्य अपराधों के मामले में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन 3 माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। गंभीर या जघन्य अपराध के मामले में सीजेएम या सीएमएम जांच पूरी करने के लिए और समय बढ़ा सकते हैं।

जब किसी बोर्ड का जांच करने पर समाधान हो जाता है; किशोर ने कोई अपराध किया है और वह गंभीर प्रकृति का नहीं है तो जे. जे. बोर्ड -

- किशोर को चेतावनी और सलाह देकर माता पिता या संरक्षक के साथ घर जाने की अनुमति देगा। साथ ही, इस तथ्य से भी अवगत कराएगा की पुनः अपराध करने पर वह दंड का भागी होगा।
- परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश देगा जिसकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष हो सकेगी।

बोर्ड के सभी सदस्यों को संवेदनशील बनाने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार का है जो नियुक्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रवेश, प्रशिक्षण पूरा करने का प्रयास करता है।

c) विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका (SJPU):

i. **विशेष किशोर पुलिस इकाई: सरंचना व भूमिका:** किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालको से संव्यवहार करने के लिए धारा 2(55)व धारा 107 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है। ऐसी इकाई राज्य के प्रत्येक जिले या शहर में प्रतिस्थापित की जाएगी। इसका मुखिया पुलिस उप अधीक्षक या उच्च पद का पुलिस अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त, इस इकाई में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस उपनिरीक्षक या उससे उच्च पद का पद आसीन पुलिस अधिकारी होगा जो प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर बालकों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त 2 सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला) शामिल होंगे जिन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने का कार्य समेकित बाल संरक्षक समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिला बाल संरक्षण इकाई सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई के सभी अधिकारियों को प्रवेश के समय आवश्यक विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि बालकों से संव्यवहार करते समय और अधिक प्रभावशाली तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर सके विशेष किशोर पुलिस इकाई में रेलवे पुलिस भी शामिल है।

ii. **संचालित प्रक्रिया:** किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (13) के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसका अपराध कारित करना अभिकथित है और

जिसने अपराध कार्य किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। ऐसे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में संव्यवहार करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

1. कानून का उल्लंघन करने का आरोपित बालक जैसे ही पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो उसे शीघ्रतम विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाता है जो ऐसे विधि विरुद्ध किशोर को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी कारणवश बोर्ड के समक्ष उपस्थित करना संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे आरोपित बालक या किशोर को तत्काल राज्य सरकार द्वारा स्थापित अवलोकन गृह में या समुचित सुविधा स्थल में रखा जाएगा तत्पश्चात 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

   किसी भी मामले में ऐसे तथा कथित आरोपी बालक को-

   - पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा,
   - हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी और
   - वयस्क अपराधियों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

   जमानती या गैर जमानती अपराध की स्थिति में बालक को पुलिस अधिकारी द्वारा सशर्तया शर्तरहित रिहा किया जाता है या परिवीक्षा अधिकारी या उपयुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाता है। जमानत पर रिहा न करने की स्थिति में ऐसे बालक को अवलोकन गृह में रखा जाता है।

ऐसी आरोपित बालक के संबंध में संव्यवहार करने वाला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई अतिशीघ्र निम्न को सूचित करता है:-

- बालक के माता-पिता या अभिभावक को (बोर्ड के समक्ष नियत दिन व नियत समय पर उपस्थिति का निर्देश-पत्र भी),
- परिवीक्षा अधिकारी (सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने बाबत) तथा
- बालक को नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक प्राधिकरण को

16 वर्ष के किशोर द्वारा कारित जघन्य अपराध (7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध) की स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त साक्ष्य संबंधी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक माह में प्रस्तुत की जाती है जिसकी एक प्रति बालक या उसके माता-पिता या उसके अभिभावक को दी जाती है। अन्य मामलों में (7 वर्ष की कम की सजा वाले अपराधों में) पुलिस द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट (FR) बोर्ड के समक्ष अधिकतम 2 माह में प्रस्तुत की जा सकेगी। जघन्य अपराध की स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा FIR दर्ज की जा सकेगी जिसकी एक प्रति बालक/माता-पिता/अभिभावक को दी जाएगी।

2. बालकों के मामले में पुलिस अधिकारी को बाल मित्र दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक चिकित्सीय सहायता दुभाषिए या अन्य कोई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

3. माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में बालक द्वारा अपराध संस्वीकरण में अपेक्षित दबाव नहीं बनाया जाता है और किसी भी प्रकार के बालक के बयान पर हस्ताक्षर नहीं लिए जाते हैं।
4. किशोर अपराधी द्वारा ऐसे विशेषगृह, अवलोकन गृह या सुरक्षा स्थल से भागने की स्थिति में ऐसे बच्चे का प्रभार कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकेगा जो उसे 24 घंटे के भीतर मूल आदेश पारित करने वाले किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष या नजदीकी बोर्ड के समक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में किशोर अपराधी पाया जाए, प्रस्तुत कर सकेगा।

B. देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में:

(a) **बाल कल्याण समिति व संचालित प्रक्रिया:** अधिनियम के अधीन देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में शक्तियों और कर्तव्यो का उपयोग करने के लिए बाल कल्याण समिति को सशक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार राज्य सरकार ऐसे प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी। इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक महिला तथा एक अन्य बालकों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होगा। ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी को सचिवीय सहायता या समर्थन प्रदान करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई डीसीपीयू सचिव व अन्य कर्मचारी को सशक्त किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट डीएम समिति सीडब्ल्यूसी की कार्यप्रणाली की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।

बाल कल्याण समिति एक माह में कम से कम 20 दिन बैठक करेंगी इसमें समिति द्वारा किसी बाल देख रेख संस्था का निरीक्षण

भी शामिल है । जब समिति सत्र में ना हो उस स्थिति में सीएनसीपी को बालक गृह या उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण के संबंध में समिति के निजी सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा। समिति में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे और कोई भी निर्णय किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति मात्र से अविधिमान्य नहीं होगा। समिति सीएनसीपी आवासीय सुविधाओं के बारे में माह में कम से कम 2 निरीक्षण करेगी और इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई डीसीपीयू से आवश्यक व उचित राय लेगी।

(b) देखरेखव संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में पुलिस की भूमिका: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में धारा 2(14) में विभिन्न श्रेणियों के बालकों को देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की कोटि में रखा है जैसे परित्यक्त बालक, भीख मांगता बालक, अनाथ, मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग, अनुप्रयुक्त माता-पिता, घर से भगोड़ा बालक, शारीरिक या मानसिक क्रूरता का शिकार बालक आदि ऐसे बालकों के संबंध में सम व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है:-

1. देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले उक्त श्रेणी के किसी भी बालक के पुलिस अधिकारी के संपर्क में आने पर वह उस बालक के प्रति मित्रव्रत व्यवहार रखते हुए सर्वप्रथम उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह आवश्यकतायें बालक की आयु, लिंग, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है।

2. किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार बालक की स्थिति में पुलिस अधिकारी किसी गैर सरकारी संस्था की सहायता से वार्तालाप करना प्रारंभ करता है ताकि वह सहज होकर अपनी बात कह सके। सभी मामलों में पुलिस अधिकारी द्वारा दैनिक डायरी में उल्लेख किया जाता हैं।
3. बालक का सर्वोत्तम हित व कल्याण प्राथमिक है इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा मामले के अनुसार 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को सूचित किया जाता है ताकि वह आवश्यक कार्यवाही कर सके। पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है।
4. पुलिस द्वारा निर्मित परिस्थिति रिपोर्ट भी बालक के साथ-साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जाती है। बाल कल्याण समिति बच्चे की देखरेख, संरक्षण, विकास व पुनर्वास के साथ-साथ बालक की मूल आवश्यकता तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णायक होती है।
5. बालक की सर्वोत्तम हित में पुलिस द्वारा विभिन्न हितधारकों जैसे बालकल्याणसमिति, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग चाइल्ड लाइन, गैर-सरकारी संस्थाएं, अस्पताल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, विशेष शिक्षक, परामर्शदाता आदि के साथ समुचित समन्वय बनाया जाता है ताकि बालक की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

विशेष किशोर पुलिस इकाई की किशोर न्याय कानून के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंधता होती है जो बालकों के संबंध में कार्रवाई करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई को सहयोग व समन्वय प्रदान करती है । यह संस्थाएं निम्न है:-

 ISSN-2583-2581

- किशोर न्याय बोर्ड,
- गैर सरकारी संस्थाएं,
- जिला बाल संरक्षण इकाई,
- बाल कल्याण समिति,
- बाल कल्याण अधिकारी,
- परिवीक्षा अधिकारी (बाल देखरेख संस्थान),

Source: Module-3 (UNICEF)

c) **पुनर्वास व सामाजिक पुनः एकीकरण**: अधिनियम द्वारा उक्त दोनों श्रेणियों के बालक यथा सीसीएल तथा सीएनसीपी के संबंध में उनके पुनर्वास व सामाजिक पुनः एकीकरण हेतु विभिन्न संस्थागत तथा गैर संस्थागत सेवाएं अधिनियमित की गई है।

d) **संस्थागत सेवाएं:** कानून के अन्तर्गत दोनो श्रेणियों के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीयन का प्रावधान है। ऐसा पंजीयन कराना अनिवार्य है। अन्यथा एक साल का दण्ड अथवा न्यूनतम एक लाख तक का जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा-40 व 41)।

IV. निष्कर्ष:

भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त विभिन्न प्रावधान किए जिन का मुख्य उद्देश्य समाज के समस्त वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उनका चौमुखी विकास व सर्वोत्तम कल्याण करना है। सामाजिक कल्याण के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सामाजिक नीतियों व सामाजिक कानूनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। समाज में बालक देश के भविष्य के संसाधन है। किशोर न्याय प्रणाली सामाजिक कल्याण और बच्चे की अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य लक्ष्य बालक में सुधार व पुनर्वास करना है, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक व्यक्तित्व की ओर ले जाना है। इस संबंध में किशोर न्याय प्रशासन उन आधारभूत सिद्धांतों का अनुपालन करता है जो राज्य के कल्याणकारी आदर्शों और नीतियों को प्रस्तुत करती है। इसी संदर्भ में किशोर न्याय प्रशासन राज्य के लोक कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सशक्त माध्यम भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. एम.पी. भारद्वाज, “किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका" पुलिस विज्ञान, 2007
2. भारतीय दंड संहिता,1860
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021
5. मूल प्रश्न पत्रिका, अक्टूबर-दिसंबर, 2021
6. पुलिस विज्ञान, जुलाई-सितंबर, 2007
7. Module 3, UNICEF
8. Annual Report (2021-22), Department of Social Justice and Empowerment, Rajasthan.
9. Annual Progress Report, (2022-23) Department of Child Rights, Rajasthan
10. www.legalserviceindia.com
11. www.ncrb.gov.in
12. www.kanoonmite.com
13. www.dristiias.com
14. www.dcr.rajasthan.gov.in
15. www.legalquotient.com